राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 293 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक– 19-5-17

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में इस घटक के अन्तर्गत शहरों में एस0एच0जी0 का गठन कर बैंकों में खाते खुलवाए गये हैं। उक्त गठित स्वयं सहायता समूहों को योजना के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 03 माह की क्रियाशीलता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड रू0 10,000/– अवमुक्त किये जाने का प्रावधान है। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश इस कार्यालय के पत्र सं0–498 / 241 / NULM / तीन / 2001 (RO-III) दिनांक 30.06.2016 एवं संशोधित दिशानिर्देश पत्र सं0–965 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक 22.12.2016 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 216–17 की प्रगति आख्या के अनुसार शहरों में गठित एवं रिर्पोटेड एस0एच0जी0 की इस कार्यालय को प्रेषित आख्या के अनुसार शहरों में रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है, जिससे घटक के प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त न किये जाने से स्वयं सहायता समूहों के गठन की गति धीमी होने के साथ उनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित हुई है और एस0एच0जी0 बैंक लिंकेज पर सीधा प्रभाव पड़ा है।

उक्त तथ्य आख्याओं से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। भारत सरकार द्वारा समीक्षा बैठकों में कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है।

शहरी गरीबी निवारण की दिशा में विशेष योगदान देने के इस कार्य को शहरों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे शासन एवं भारत सरकार में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में यानी दो वर्षो में बलरामपुर बाँदा, बस्ती, खुर्जा, बुलन्दशहर, चन्दौली, मुगलसराय, चित्रकूट, फरूखाबाद, शिकोहाबाद–फिरोजाबाद, गाजीपुर, हापुड, हरदोई, रामपुर एवं शाहजहांपुर में पर्याप्त संख्या में एस0एच0जी0 गठन होने के उपरान्त भी किसी भी एस0एच0जी0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया गया है यह अत्यन्त ही चिन्ताजनक स्थित है कि इन शहरों में सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सम्बिन्धित उत्तरदायी अधिकारी यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों के कारण दो वर्षो में वे एक भी एस0एच0जी0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं करा पाये हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विगत 13.04.2017 को माननीय मंत्री आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के साथ की गई समीक्षा में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाना है, जिसकी समय–समय पर समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भी की जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत शहरी गरीबी निवारण हेतु संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए प्रगति में तत्काल सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता के दृष्टिगत लक्ष्य के अनुक्रम में तदानुसार 100 दिवसों में लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपने स्तर से समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाते हुए विगत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गठित एवं क्रियाशील एस0एच0जी0 को गाइडलाइन के अनुसार तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त कराने के साथ ही एस0एच0जी0 गठन एवं उनके हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु कार्यरत संदर्भ संस्थाओं को भी इस कार्यालय के पत्र सं0–966/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-II दिनांक 22.12.2016 के अनुक्रम में भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें ताकि घटक के अन्तर्गत अपेक्षित उपलब्धि की जा सके।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना को अनुपालनार्थ।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक